

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2221

कार्यालय कलेक्टर खनिज जिला मंदसौर म.प्र.

क्रमांक 109 / खनिज / 2023

मंदसौर, दिनांक 16/02/2023

-: कारण बताओ सूचना पत्र :-

प्रति,

मेसर्स गुरुकुपा माईन्स प्रो.रविंद्र अरोरा
निवासी नई आघाटी मंदसौर

द्वारा:- तहसीलदार मंदसौर

विषय:- त्वीकृत उत्खनिपट्टा/खनिपट्टा की जमा में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में

-0-

उपरोक्त द्वारा सूचित किया जाता है-कि आपके नाम से ग्राम गुजरदा तहसील मंदसौर के भूमि क्रमांक 4/1 रकबा 3.000 है. क्षेत्र खनिज शैलपत्थर उत्खनन हेतु उत्खनिपट्टा/खानेपट्टा त्वीकृत है आपके द्वारा उत्खनन किए गए क्षेत्र से मिट्टी निकालकर सड़क के पास जमा की गई है जिससे सड़क में दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो सकती है तथा जमा की गई मिट्टी से सड़क के किनारे जो वृक्षारोप का कार्य किया गया है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

उक्त उपरोक्त अनियमितता के संबंध में आपको कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त अनियमितता की पूर्ति कर अपना जवाब सूचना पत्र प्राप्त के 30 दिनों में प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने से आपके नाम से त्वीकृत उत्खनि पट्टा म.प्र. गण खनिज नियम 1996 के नियम 30(26) के तहत खदान निरस्त कर आपके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राश-राजराज को जापगी।

Received
A. Arora
8/2/23

कलेक्टर
जिला मंदसौर म.प्र.

(प्रकाश पन्ने)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग